

कमतौल पुलिस के छापे में बड़ी कंपनियों के नकली सामान जब्त

Publish Date: Sat, 30 Jan 2021 12:12 AM (IST) Author: Jagran



दरभंगा। दरभंगा-कमतौल पथ के किनारे डीपीएस स्कूल के समीप कमतौल पुलिस ने उत्पाद कंपनी के प्र

दरभंगा। दरभंगा-कमतौल पथ के किनारे डीपीएस स्कूल के समीप कमतौल पुलिस ने उत्पाद कंपनी के प्रतिनिधि के साथ एक घर में छापामारी कर हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, उषा इंटरनेशनल, टाटा कंज्यूमर ब्रेभरी लिमिटेड एवम् रैकिट बल्कस (डेटोन) कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा नकली उत्पाद बड़ी मात्रा में बरामद किया है। हालांकि कारोबारी मौके से फरार हो गया। लेकिन, मकान मालिक रामबाबू साह पकड़े गए। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। कारोबारी मुजफ्फरपुर का मनोज कुमार है। वह किराए पर मकान लेकर नकली माल सप्लाई कर रहा था।

इस संदर्भ में हैवेल्स इंडिया लिमिटेड एवं उषा इंटरनेशनल के प्रतिनिधि व नाला सुपारी पूर्व के काजू पाड़ा , दशवंत चाल के मकान संख्या 7 निवासी कन्हैया लाल गुप्ता के पुत्र मनीष गुप्ता ने कापी राइट अधिनियम 1957 के तहत कमतौल निवासी रामबाबू साह (मकान मालिक) व कारोबारी मनोज कुमार मुजफ्फरपुर के विरुद्ध कमतौल थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 24/21 दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि इन लोगों के कारण कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा है। श्री साह के घर से हैवेल्स कंपनी के एक एमएम का 44 नकली केवल एवं उषा कंपनी का नकली 45 बिजली पंखा बरामद किया गया है।

नकली चाय पत्ती व हार्पिक भी जब्त

इसी मकान से कमतौल थानाध्यक्ष सरवर आलम ने नकली चाय पत्ती व नकली हार्पिक भी बरामद किया। इसमें तैयार व कच्चा माल सहित सीलिंग मशीन, खाली बोतल, रैपर,लेबुल आदि बरामद किया है गया। इस संदर्भ में टाटा कंज्यूमर ब्रेभरी लिमिटेड व रैकीट बैलकस(डेटोन)कंपनी के प्रतिनिधि व मुंबई के जागेश्वरी पूर्व ,संजय गांधी नगर के रूम नंबर 2 निवासी राम कीरत गौड़ के पुत्र नीरज गौड़ ने भी उपरोक्त मकान मालिक व कारोबारी के विरुद्ध कमतौल थाना कांड संख्या 25/21 दर्ज कराया है।

ये चीजें हुई बरामद

पुलिस द्वारा जब्त की गई चीजों में टाटा टी प्रीमियम 250 ग्राम का तैयार नकली चाय पत्ती, 2310 पैकेट, खाली पाउच 6219 , टाटा टी प्रीमियम 100 ग्राम नकली तैयार पैकेट 2623 व खाली पाउच 8279, टाटा टी गोल्ड 250 ग्राम का नकली तैयार पैकेट 2348 एवं खाली पाउच 12229, टाटा टी गोल्ड 100 ग्राम का तैयार नकली 1620 पैकेट व खाली 6248, खाली पाउच, लूज चायपत्ती 60 किलो व पैकिंग करने की बिजली मशीन एक सहित नकली तैयार हार्पिक 500 एमएल 2208 व खाली बोतल 1926,हार्पिक 200 एमएल का नकली तैयार 1821 बोतल व खाली 1323 बोतल समेत 50 लीटर नकली लूज हार्पिक के साथ साथ नकली ढक्कन,रैपर ,स्टीकर आदि बरामद किया गया है।

थानाध्यक्ष ने बताया कि शीघ्र कारोबारी को दबोच लिया जाएगा साथ ही अगर मकान मालिक की भी संलिप्तता होगी तो उसे भी नहीं बख्शा नहीं जाएगा।

Source: <https://www.jagran.com/bihar/darbhanga-mmmmm-mmmmmmm-21319236.html>